प्रकरण संख्या 48/2025
अनवान सुशील कुमार बनाम शारदा देवी वगैरा

वकील उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सख्या 8 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन अपूर्णीयक्षति पर विचरण किया गया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावाली के अवलोकन से उक्त बिन्दु उभय पक्ष में तय किये जाते है। वाद बहुलता को रोकने एवं वादगत सम्पति की संरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा इस आश्य की कन्फर्म कि जाती है कि प्रार्थी/अप्रार्थीगण ताफैसला दावा अपने हक हिस्से से अधिक अराजी खुर्द बुर्द रहन बैय न करे एव न ही एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करे तथा ना ही प्रश्नगत आराजी में विशिष्ट आराजी का बेचान/अन्तरण करेगें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र 212 मूल वाद के साथ संलग्न रहे।